183

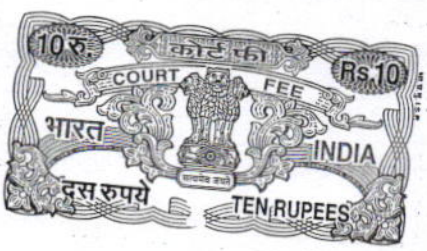

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2016 जिला–दतिया निग-2621-इ-16

अबतार सिंह पुत्र श्री अमरीक सिंह,
निवासी– झॉसी (उ.प्र.)

...... आवेदक

विरूद्ध

1. फूलसिंह पुत्र श्री बैजनाथ,
2. छोटेलाल पुत्र श्री बैजनाथ,
3. भानु कुमार पुत्र श्री तुलई रजक,
निवासीगण डेरा गंधारी, तहसील व जिला दतिया (म.प्र.)
4. श्रीमती संजू पत्नी संजय प्रकाश मालौदिया, निवासी दतिया म0प्र0 सिविल लाईन, दतिया
5. श्रीमती मीना पत्नी अशोक कुमार गुलवानी, निवासी सिविल लाईन दतिया
6. सत्य प्रकाश पुत्र श्री सूरज प्रकाश वैश्य, निवासी – झॉसी उ0प्र0 निवासी पुरानी नजमाई

...... अनावेदकगण

श्री ... चतुर्वेदी अभि.
... दि. 5.8'16

न्यायालय तहसीलदार, वृत्त दतिया तहसील व जिला दतिया द्वारा प्रकरण क्रमांक 24/अ–27/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 30.07.2016 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

1– यहकि, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार वृत दतिया तहसील व जिला दतिया का आदेश दिनांक 30.07.2016 अवैध अनुचित एवं विधि के उपबन्धों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

2– यहकि, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विधिवत् विचार किये बिना ही जो आदेश पारित किया है, वह नितान्त अवैध एवं अनुचित होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-2621-एक/16 **जिला** - दतिया

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25/02/2019	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 30.04.2019 को कलेक्टर, जिला दतिया के समक्ष उपस्थित हों। सदस्य **<u>कलेक्टर जिला दतिया</u>**	